

पत्रांक-05/बी01-46/2018
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक, (मध्याह्न भोजन योजना),
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना),
बक्सर एवं मधेपुरा।

पटना, दिनांक /

विषय :- वित्तीय वर्ष 2018-19 में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत बक्सर एवं मधेपुरा जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों के वेतनादि भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्यशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघुशीर्ष-112-विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम, उपशीर्ष-0002-मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना, विपत्र कोड-212202011120002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अंकित राशि रू० 14,24,800/- (चौदह लाख चौबीस हजार आठ सौ रुपये) मात्र आपको निम्न विवरणी अनुसार आवंटन आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जी०या०भ०	म०कि०भ०	योग वेतन एवं भत्तें	अभियुक्ति
	कुट संख्या	0002.01.01	0002.01.03	0002.01.04		
1	बक्सर	4,91,556	2,13,720	7,124	7,12,400	1752/2709.2018
2	मधेपुरा	4,91,556	2,13,720	7,124	7,12,400	
	कुल योग	9,83,112	4,27,440	14,248	14,24,800	
तत्काल आवंटित राशि (चौदह लाख चौबीस हजार आठ सौ रुपये मात्र)						

- यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 3244 दिनांक-04.05.2018 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
- प्राप्त आवंटन से विधिवत रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाये।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
12. वित्त विभागीय पत्रांक-6903 दिनांक-13.09.2018 द्वारा समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के माध्यम से आवंटन देने के प्रक्रिया को शिथिल करते हुए CTMIS में प्रविष्ट आवंटन को कोषागार द्वारा विपत्र स्वीकार करने के लिए निर्देश दिया गया है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

ज्ञापांक:- ५।

निदेशक, (मध्याह्न भोजन योजना)
पटना दिनांक:- 14/10/18

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं मधेपुरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर एवं मधेपुरा/उप सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/आई०टी०मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, (मध्याह्न भोजन योजना)

11/10/18
3/10/18